रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2771] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 22, 2015/पौष 1, 1937
No. 2771] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 22, 2015/PAUSA 1, 1937

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3492(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचनाओं का.आ. 564 तारीख 17 फरवरी, 2005, का.आ. 2419(अ), तारीख 01 अक्तूबर, 2008, का. आ. 1332(अ) तारीख 22 मई, 2009 और का. आ. 3069 (अ) तारीख 30 नवम्बर, 2009 द्वारा, उन अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूचीयों में विनिर्दिष्ट भूमियों में देश के विभिन्न भागों में अवस्थित उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए मैसर्स रिलायंस गैस ट्रान्सपोर्टेशन इन्फास्ट्रक्चर लिमिटेड (आर.जी.टी.आई.एल) द्वारा काकिनाडा–हैदराबाद– ऊरण–अहमदाबाद गैस पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, यतः, भारत सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत सम्बद्ध सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने हेतू चाहिये, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन किये जाने का निर्णय लिया था;

और, यतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचनाओं का.आ. 2237 तारीख 21 जून, 2005, का.आ. 1187 (अ) तारीख 06 मई, 2009, का. आ. 2844(अ) तारीख 04 नवम्बर, 2009 और का.आ. 574 (अ) तारीख 09 मार्च, 2010 द्वारा उन अधिसूचनाओं से संलग्न अनुसूचीयों में विनिर्दिष्ट भूमियों में उपयोग का अधिकार का अर्जन किया था;

और, यतः, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार ने उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार क्रमशः अधिसूचनाओं के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी बाधाओं से मुक्त मैसर्स आर.जी.टी.आई.एल. में निहित किया था;

और, यतः, मैसर्स रिलायंस गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड (आर.जी.पी.एल.), जो कि दहेज–नागोथाने तरल ईथेन पाइपलाइन बिछा रही है, ने इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग का अधिकार, जो उपरोक्तानुसार मैसर्स आर.जी.टी.आई.एल. में निहित है, को मैसर्स आर.जी.टी.आई.एल. के साथ बांटने की इच्छा जताई है;

और, यतः, मैसर्स आर.जी.पी.एल. की दहेज–नागोथाने तरल ईथेन पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए, मैसर्स आर.जी.टी.आई.एल. ने, उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार को मैसर्स आर.जी.पी.एल. के साथ बांटने के लिए अपनी सहमति दे दी है;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार, जो मैसर्स आर.जी.टी.आई.एल. में निहित किया गया था, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से सभी विल्लंगमों से मुक्त, मैसर्स आर.जी.पी.एल. में भी निहित होगा ।

अनुसूची

मंडल / तहसील / तालुका : कर्जत	जिला : रायगड	राज्य : महाराष्ट्र		
गाँव का नाम	सर्वे नं / सब डिविजन सं	आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल		
		हेक्टेयर	एयर	सि–एयर
1	2	3	4	5
(1) वाकस	80 / 4 (पुराना सर्वे नं. 114 / 4)	00	05	01
	80 / 5 (पुराना सर्वे नं. 114 / 5)	00	06	08
	80 / 6 (पुराना सर्वे नं. 114 / 6)	00	06	08
	79 / 6बी (पुराना सर्वे नं. 113 / 6बी)	00	05	03
	78 / 3 (पुराना सर्वे नं. 112 / 3)	00	11	65
	83 / 4 (पुराना सर्वे नं. 117 / 4)	00	07	77
	84 / 2 (पुराना सर्वे नं. 118 / 2)	00	08	44
	84 / 3,4 (पुराना सर्वे नं. 118 / 3,4)	00	14	70
	84 / 6 (पुराना सर्वे नं. 118 / 6)	00	07	47
	62 / 1 (पुराना सर्वे नं. 96 / 1)	00	06	23
	62 / 2ए (पुराना सर्वे नं. 96 / 2ए)	00	05	03
	62 / 3 (पुराना सर्वे नं. 96 / 3)	00	07	12
	सर्वे नं. 62 और 84 बीच में रास्ता (पुराना सर्वे नं. 96 और 118 बीच में रास्ता)	00	02	25
	63 / 1 (पुराना सर्वे नं. 97 / 1)	00	00	48
	63 / 2 (पुराना सर्वे नं. 97 / 2)	00	04	30
	63 / 3 (पुराना सर्वे नं. 97 / 3)	00	07	39
	63 / 4 (पुराना सर्वे नं. 97 / 4)	00	13	80
	63 / 5 (पुराना सर्वे नं. 97 / 5)	00	09	73
	58 / 1 (पुराना सर्वे नं. 92 / 1)	00	02	88
	58 / 2ए (पुराना सर्वे नं. 92 / 2ए)	00	22	00
	58 / 2बी (पुराना सर्वे नं. 92 / 2बी)	00	11	00
	58 / (5+6बी) / 1 (पुराना सर्वे नं. 92 / (5+6बी) / 1)	00	05	50
	58 / 9 (पुराना सर्वे नं. 92 / 9)	00	03	96
	57 / 2 (पुराना सर्वे नं. 91 / 2)	00	08	89
	56 / 2ए (पुराना सर्वे नं. 90 / 2ए)	00	09	60
	56 / 2बी (पुराना सर्वे नं. 90 / 2बी)	00	19	01
	56 / 3 (पुराना सर्वे नं. 90 / 3)	00	00	56
	55 / 2 (पुराना सर्वे नं. 89 / 2)	00	18	88
	55 / 5 (पुराना सर्वे नं. 89 / 5)	00	08	50
	49 / 12 (पुराना सर्वे नं. 83 / 12)	00	05	40
	49 / (13+14) (पुराना सर्वे नं. 83 / (13+14))	00	30	05
	47 / 1सी (पुराना सर्वे नं. 81 / 1सी)	00	18	00
	47 / 1 / ए / 1 (पुराना सर्वे नं. 81 / 1 / ए / 1)	00	17	83
	47 / 7 (पुराना सर्वे नं. 81 / 7)	00	13	80

[फा. सं. एल. 14014 / 36 / 2015-जी.पी.–II]

श्री प्रकाश अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2015

S.O. 3492(E).—Whereas by notifications of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 564 dated 17th February, 2005, S.O. 2419(E) dated 01st October, 2008, S.O. 1332(E) dated 22nd May, 2009 and S.O. 3069(E) dated 30th November, 2009, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire Rights of Users in lands, specified in the schedules appended to those notifications, for the purpose of laying Kakinada – Hyderabad – Uran – Ahmedebad Gas Pipeline by M/s Reliance Gas Transportation Infrastructure Limited (RGTIL) for transportation of natural gas to consumers in various parts of the country;

And whereas, Government of India, after considering the reports submitted by the respective Competent Authorities under sub-section (1) of Section 6 of the Act and on being satisfied that the said lands were required for laying the pipeline, decided to acquire the Rights of Users therein;

And whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Act, Government of India declared acquisition of the Rights of Users in lands, specified in the schedules appended to those notifications, for laying the said pipeline, vide notifications of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas number S.O. 2237 dated 21st June, 2005, S.O. 1187(E) dated 06th May, 2009, S.O. 2844(E) dated 4th November, 2009 and S.O. 574(E) dated 09th March, 2010;

And whereas, in exercise of powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the Act, Government of India declared vesting the Rights of Users in the said lands for laying the pipeline in M/s RGTIL, instead of Government of India, free from all encumbrances on the dates of publication of respective declarations;

And whereas, M/s Reliance Gas Pipelines Limited (RGPL), which is laying Dahej – Nagothane Liquid Ethane Pipeline, intends to share with M/s RGTIL the Rights of Users in land, described in the schedule appended to this notification, which has been earlier vested in M/s RGTIL as mentioned above;

And whereas, M/s RGTIL has consented to the sharing of the Rights of Users in the said land with M/s RGPL for the purpose of laying Dahej - Nagothane Liquid Ethane Pipeline;

Now, therefore, in exercise of powers conferred under sub-section (4) of Section 6 of the Act, Government of India directs that the Rights of Users in the said lands, vested earlier in M/s RGTIL, would also be vested in M/s RGPL, free from all encumbrances from the date of publication of this declaration.

SCHEDULE

Mandal/Tahsil/ Taluk: Karjat	**District : Raigad**	**State: Maharashtra**		
Name of Village	**Survey No./Sub-Division No.**	**Area to be acquired for ROU**		
		Hec.	**Are**	**C.Are**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
(1) Vakas	80/4 (Old No. 114/4)	00	05	01
	80/5 (Old No. 114/5)	00	06	08
	80/6 (Old No. 114/6)	00	06	08
	79/6B (Old No. 113/6B)	00	05	03
	78/3 (Old No. 112/3)	00	11	65
	83/4 (Old No. 117/4)	00	07	77
	84/2 (Old No. 118/2)	00	08	44
	84/3,4 (Old No. 118/3,4)	00	14	70
	84/6 (Old No. 118/6)	00	07	47
	62/1 (Old No. 96/1)	00	06	23
	62/2A (Old No. 96/2A)	00	05	03
	62/3 (Old No. 96/3)	00	07	12
	Road Between Survey No. 62 and 84 (Old No. Road Between Survey No. 96 and 118)	00	02	25
	63/1 (Old No. 97/1)	00	00	48
	63/2 (Old No. 97/2)	00	04	30
	63/3 (Old No. 97/3)	00	07	39

(1) Vakas (Contd.)	63/4 (Old No. 97/4)	00	13	80
	63/5 (Old No. 97/5)	00	09	73
	58/1 (Old No. 92/1)	00	02	88
	58/2A (Old No. 92/2A)	00	22	00
	58/2B (Old No. 92/2B)	00	11	00
	58/(5+6B)/1 (Old No. 92/(5+6B)/1)	00	05	50
	58/9 (Old No. 92/9)	00	03	96
	57/2 (Old No. 91/2)	00	08	89
	56/2A (Old No. 90/2A)	00	09	60
	56/2B (Old No. 90/2B)	00	19	01
	56/3 (Old No. 90/3)	00	00	56
	55/2 (Old No. 89/2)	00	18	88
	55/5 (Old No. 89/5)	00	08	50
	49/12 (Old No. 83/12)	00	05	40
	49/(13+14) (Old No. 83/(13+14))	00	30	05
	47/1C (Old No. 81/1C)	00	18	00
	47/1/A/1 (Old No. 81/1/A/1)	00	17	83
	47/7 (Old No. 81/7)	00	13	80

[F. No. L-14014/36/2015-GP-II]

S. P. AGARWAL, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.